

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 143/2006

संस्थापन दिनांक 03.01.2006

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड  
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बन्टी उर्फ रामकुमार पुत्र हरगोविन्द जाटव, उम्र 20  
साल, निवासी ग्राम रुरी का पुरा कठवां थाना गोहद  
जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.12.05 को 02:50 बजे एटलस तिराहा मालनपुर पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा देशी 315बोर का मय एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से रखे पाये गये जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.05 को पी.एस.तौमर थाना प्रभारी मालनपुर अ0सा05 मय फोर्स के मालनपुर में एटलस तिराहे पर आने जाने संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे। तब चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बन्टी उर्फ रामकुमार जाटव निवासी रुरी का पुरा का बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी कमर में पैन्ट के नीचे एक देशी कट्टा 315 बोर का मिला कट्टा खोलकर चेक किया तो चेम्बर में एक जिंदा राउण्ड भी लगा था। आरोपी से कट्टा व राउण्ड रखने बाबत लाइसेन्स पूछने पर आरोपी ने न होना बताया। तत्पश्चात् कट्टा व राउण्ड को समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया

तत्पश्चात मय माल व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना मालनपुर में अप0क0 159/05 की एफ.आई.आर. प्र0पी-4 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 12.12.05 को 02:50 बजे एटलस तिराहा मालनपुर पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा देशी 315बोर का मय एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से रखे पाये गया जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी पी0एस0 परमार अ0सा05 का कथन है कि वह दिनांक 12.12.05 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौरान भ्रमण इण्डिस्ट्रियल क्षेत्र एटलस तिराहे पर मय फोर्स तथा गवाहन के आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करते समय एक व्यक्ति को रोककर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटी उर्फ रामकुमार जाटव निवासी रुरी का पुरा कठवां का होना बताया। तलाशी पर कमर में बांये तरफ पैन्ट के नीचे एक कट्टा देशी 315बोर का मिला जिसको खोलकर देखा तो बैरल में एक जिंदा राउण्ड लगा पाया। कट्टा एवं राउण्ड रखने बाबत लाइसेन्स चाहा तो आरोपी ने न होना बताया। तब गवाहन जबरसिंह व विश्वनाथसिंह के समक्ष कट्टा एवं राउण्ड की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा कट्टा एवं राउण्ड को मौके पर ही जप्त कर सील्ड किया था तथा आरोपी को समक्ष गवाहन गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद मय आरोपी, गवाहन कस्बा का भ्रमण करते हुए थाना वापिसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0 159/05 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट की लेखबद्ध की जो प्र0पी-4 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसके बाद प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु डायरी प्र0आरक्षक मैथिलीशरण के सुपुर्द की थी।
6. साक्षी जबरसिंह अ0सा02 का कथन है कि वह आरोपी बंटी को नहीं जानता है पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का देशी कट्टा व राउण्ड जप्त किया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ्तर प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी विश्वनाथ अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 12.12.05 को वह पेट्रोलिंग गश्त के लिए नगर निरीक्षक के साथ गया था और एटलस तिराहे पर चैकिंग की जा रही थी तब एक व्यक्ति को रोककर चैक किया तो उसने

अपना नाम बंटी बताया जिसकी तलाशी लेने पर कमर के नीचे बांये तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक जिन्दा राउण्ड मिला। नगर निरीक्षक ने लाइसेन्स पूछा तो न होना बताया। कारतूस कट्टे के अंदर लगा हुआ था। उसके व साक्षी जबरसिंह अ0सा02 के समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी मैथिलीशरण गुप्ता अ0सा03 का कथन है कि वह दिनांक 12.12.05 को वह थाना मालनपुर पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह थाना प्रभारी मालनपुर के साथ हमराह औद्योगिक क्षेत्र में गश्त करते हुए एस.आर.एफ. तिराहे जमुना ऑटो फैक्ट्री तिराहे पर पहुंचा तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा मिला जिसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बिजेन्द्र उर्फ मुकेश पुत्र रामसिंह गोले निवासी सिंगवारी का बताया। जिसकी जामा तलाशी लेने पर कमर में पैन्ट के अंदर एक कट्टा लोडेड हालत में मिला मौके पर गवाह जबरसिंह तथा आरक्षक मनोज के समक्ष कट्टा जप्त किया। बाद मय आरोपी के रवाना होकर गश्त करता हुआ एटलस तिराहे पर आकर आने जाने वालों की चैकिंग की। दौरान चैकिंग बंटी उर्फ रामकुमार जो बाजार तरफ से आ रहा था, चैक किया तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटी उर्फ रामकुमार पुत्र हरगोविन्द जाटव निवासी रुरी का पुरा कटवा का होना बताया जिसकी गवाह जबरसिंह व विश्वनाथ के समक्ष जामा तलाशी ली तो कमर में पैन्ट के नीचे एक देशी कट्टा 315 बोर का लगाये मिला, कट्टा खोलकर देखा तो चैम्बर में एक जिन्दा राउण्ड लगा था। आरोपी से कट्टा रखने का लाइसेन्स पूछने पर आरोपी द्वारा लाइसेन्स न होना व्यक्त किया। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर कट्टा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बाद विवेचना थाना आकर उसके सुपुर्द की गयी थी जिसमें दिनांक 13.12.05 को साक्षी जबरसिंह, आरक्षक विश्वनाथ के कथन उसके द्वारा उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए गए थे। रोजनामचे में वापिसी क्रमांक 373 पर इन्द्राज की थी जिसकी रोजनामचा नकल उसके द्वारा की गयी थी जो उनके हस्तलेख में प्र0पी-5 है।

9. साक्षी सुरेश दुबे अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.01.06 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मालनपुर के आरक्षक रामकिशोर नं0 715 द्वारा अप0क0 159/05 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक 315 बोर के जिन्दा राउण्ड सीलबंद जांच हेतु प्राप्त होने पर उनकी जांच उसके द्वारा की गयी थी। जांच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था कट्टे से फायर किया जा सकता था साथ में 315 बोर का राउण्ड चालू हालत में था जिससे फायर हो सकता था। बाद जांच कर शस्त्र उसी कपड़े में सीलबंद कर शस्त्रागार में जमा किया गया। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी जबरसिंह अ0सा02 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः घटना के संबंध में मात्र प्रत्यक्ष साक्षियों के कथन अभिलेख पर हैं। विश्वनाथ अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि घटना दिनांक को आरोपी के अलावा सर्चिंग में कोई अन्य कट्टा नहीं मिला था लेकिन पी.एस. तौमर अ0सा05 ने पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी जहां पकड़ा था उस जगह पर पहले भी एक आरोपी पकड़ा था परन्तु उसका नाम नहीं मालूम। अतः दोनों

साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं।

11. पी0एस0तौमर अ0सा05 ने पैरा 3 में कथन किया है कि कट्टा व राउण्ड उसके द्वारा मौके पर ही सील किए गए थे परन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर नमूना सील अंकित नहीं है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर यह साक्षी कारण बताने में असमर्थ रहा है। इसके विपरीत विश्वनाथ अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि थाने पर लाकर कट्टे को सील किया था। अतः दोनों पुलिस साक्षीगण ने कट्टा सील किए जाने के संबंध में अलग तथ्य बताये हैं इस संबंध में मैथलीशरण अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में ही कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि आर्टिकल ए-1 का कट्टा व आर्टिकल ए-2 का कारतूस ही आरोपी से जप्त हुआ था। अतः विवेचक जो घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है, ने ही दृढ़ कथन नहीं किए हैं कि आर्टिकल ए-1 व ए-2 ही आरोपी से जप्त हुआ था और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 व ए-2 पर न ही गवाहों के हस्ताक्षर की चिट लगी है, न ही अपराध क्रमांक का उल्लेख है, न ही वह सीलबंद है। अतः आर्टिकल ए-1 व ए-2 के संबंध में तीनों साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं जप्तीकर्ता पी.एस. तौमर मौके पर आयुध सीलबंद करना बताता है लेकिन उसके हमराह पुलिसकर्मी विश्वनाथ अ0सा01 ने थाने पर आकर सीलबंद करना बताया है व मैथलीशरण अ0सा0 3 ने साक्ष्य के चरण पर आयुध का सीलबंद न होना स्वीकार आर्टिकल ए-1 व ए-2 ही आरोपी से जप्त होने का दृढ़ कथन नहीं किया है। उक्त तथ्य महत्वपूर्ण विरोधाभास की श्रेणी में आता है जो अभियोजन मामले को पूर्णतः अविश्वसनीय बना देता है कि आरोपी से प्राप्त आयुध ही आर्टिकल ए-1 व ए-2 विवेचना व विचारण के चरण पर प्रस्तुत किए गए हैं।
12. विश्वनाथ अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि उनके अलावा एक अन्य स्वतंत्र व्यक्ति जबरसिंह अ0सा02 भी था लेकिन जबरसिंह अ0सा02 ने स्वयं की उपस्थिति से इंकार किया है। साक्षी मैथलीशरण अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में आरोपी को पहचानने की सक्षमता होने से भी इंकार किया है जबकि वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है।
13. अतः तीनों पुलिस साक्षीगण ने उपरोक्तानुसार विरोधाभासी कथन के आलोक में आरोपी से जप्त वस्तु आर्टिकल ए-1 व ए-2 है जो आयुध की श्रेणी में आते हैं इस संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। घटनास्थल पर आयुध सीलबंद किए जाने के संबंध में विश्वनाथ अ0सा01 व पी.एस. तौमर अ0सा05 ने विरोधाभासी कथन किए हैं। अतः आयुध सीलबंद किया जाना ही प्रमाणित नहीं होता है। घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण ने नहीं किया है। अन्य आरोपी के संबंध में विश्वनाथ व पी.एस. तौमर अ0सा05 के कथन में विरोधाभास है जोकि तात्त्विक नहीं है तथा परस्पर उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति को संदेहास्पद बनाता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 12.12.05 को 02:50 बजे एटलस तिराहा मालनपुर पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा देशी 315बोर का मय एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से रखे पाये गये जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था।
14. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
16. प्रकरण में जप्त आयुध अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)